रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 208] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 1980/आषाढ़ 25, 1902
No. 208] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 1980/ASADHA 25, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1980

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 419(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 जनवरी 1979 को विखण्डित करती है ।

[अधि. सं. 122/80 के. के. उ. शु.-- **फा. सं. 7/6/80-के. उ शु. 1]**

सी. एन. वी. नायर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 1980

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 419(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944, (1 of 1944), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 8/79-Central Excises, dated the 3rd January, 1979.

[No. 122/80-CE—F. No. 7/6/80 CX.I]

C. N. BALAKRISHNAN NAIR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980